

संख्या-2607 /2024/9-8-23/001-1771138

प्रेषक,

अजय कुमार पाण्डेय,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
स्थानीय निकाय निदेशालय,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8

लखनऊ: दिनांक 15 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु नगर पंचायत, जट्टारी, जनपद-अलीगढ़ को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रदेश की छोटी नागर निकायों को अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सैपटेज मैनेजमेंट, सड़क, साइड पटरी, जल निकासी, फुटपाथ, सोलर लाइट/एलईडी लाइट, सार्वजनिक शौचालयों, तालाब संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण, चौराहों का निर्माण, पार्क, खेल मैदान का निर्माण/सुधार, सामुदायिक केन्द्र, गौशाला का निर्माण आदि सार्वजनिक सुविधाओं का सृजन कर नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं को प्रदान करने तथा नगरों/कस्बों के समेकित एवं नियोजित विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना लागू की गयी है, जिसके संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2018 द्वारा निर्गत किये गये है तथा शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 टीसी, दिनांक 05.01.2019 द्वारा प्रभावी दिशा-निर्देशों में सरलीकरण/संशोधन के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना में प्राविधानित धनराशि में से नगर पंचायत, जट्टारी, जनपद-अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के सापेक्ष धनराशि ₹० 300.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति की अनुमति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि ₹० 150.00 लाख (रूपये एक सौ पचास लाख मात्र), उक्त निकाय, जिसका विवरण निम्नवत् है, को अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नगर पंचायत जट्टारी, जनपद-अलीगढ़ ।				
क्रमांक	कार्य/मद	कार्य/मद की प्रस्तावित लागत की धनराशि (लाख में)	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)	प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (लाख में)
1.	कंस्ट्रक्शन आफ नगर पंचायत जट्टारी सी.सी. रोड़ एण्ड यू-शेप ड्रेन इन बोथ साइड साइट एट हाउस ऑफ चन्द्र मोहन टू हाउस ऑफ ओम प्रकाश बंसल जट्टारी।	29.65		

I/471795/2024

2.	नगर पंचायत जट्टारी रिपेयरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन आफ सी.सी. रोड विथ अप लिफ्टिंग यू टाइप नाली साईट एट फ्राम शोप ऑफ अजीत शर्मा टू हाउस ऑफ हरेश गर्ग जट्टारी।	7.77		
3.	कंस्ट्रक्शन आफ नगर पंचायत जट्टारी सी.सी. रोड एण्ड यू-शोप ड्रेन इन बोथ साइड साइट एट हाउस ऑफ मुन्नी देवी टू हाउस ऑफ प्राइमरी स्कूल जट्टारी।	18.02		
4.	कंस्ट्रक्शन आफ सी.सी. रोड एण्ड ड्रेन इन नगर पंचायत जट्टारी वार्ड नं.-10 टप्पल रोड टू बलबीर खेड़ा वाला।	39.71		
5.	कंस्ट्रक्शन आफ सी.सी. रोड एण्ड ड्रेन इन नगर पंचायत जट्टारी वार्ड नं.-10 जगवीर खेड़ा वाला टू फजलपुर रोड।	35.70		
6.	कंस्ट्रक्शन आफ सी.सी. रोड एण्ड ड्रेन इन नगर पंचायत जट्टारी वार्ड नं.-10 सोनू टू अजब सिंह।	5.19		
7.	कंस्ट्रक्शन आफ सी.सी. रोड एण्ड ड्रेन इन नगर पंचायत जट्टारी वार्ड नं.-10 धर्मसीमा टू गली नट।	3.75		
8.	कंस्ट्रक्शन आफ नगर पंचायत जट्टारी सी.सी. रोड एण्ड यू शोप ड्रेन इन बोथ साइड साइट एट शोप ऑफ रामबाबू गोयल टू हाउस आफ श्रीपाल जट्टारी।	26.78		
9.	नगर पंचायत जट्टारी रिपेयरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन आफ सी.सी. रोड विथ अप लिफ्टिंग यू टाइप नाली साईट एट फ्राम कल्याण सिंह चोपाल टू ब्रामन चोपाल।	16.66		
10.	कंस्ट्रक्शन आफ आर.सी.सी. नाली इन नगर पंचायत जट्टारी इन वार्ड नं.-01 दुर्गापुर एट जरालिया रोड फ्राम जोनी प्लाट टू गंदा नाला साइज .60x.60	11.10		
11.	कंस्ट्रक्शन आफ आर.सी.सी. नाली इन नगर पंचायत जट्टारी इन वार्ड नं.-09 सागर नंबरबदार शॉप टू शमशान वाला रास्ता साइज .60x.60	8.40		
12.	नगर पंचायत जट्टारी के मैन बाजार में 90 वाट स्ट्रीट लाईट आपूर्ति का कार्य।	31.33		
13.	नगर पंचायत जट्टारी के वार्ड सं. -1 से 13 तक 45 वाट स्ट्रीट लाईट आपूर्ति का कार्य।	29.14		
14.	नगर पंचायत जट्टारी के मैन तिराहे/चौराहों पर 9 मी. हाई मास्ट लाईट के अधिष्ठापन का कार्य।	12.64		
15.	नगर पंचायत जट्टारी की प्रकाश व्यवस्था हेतु स्काई लिफ्ट 9 मी. बुलेरो।	22.79		
16.	अन्य/आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी	1.97		
	कुल योग	300.60	300.00	150.00

(रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध :-

- (1) उक्त धनराशि शासनादेश संख्या-777/नौ-8-2018-53ज/2017 टीसी, दिनांक 21 मार्च, 2018 तथा शासनादेश संख्या-47/नौ-8-2019-53ज/2017 टी0सी0, दिनांक 05-01-2019 में पं० दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के संबंध में प्रख्यापित दिशा-निर्देश के अधीन स्वीकृत की जा रही है।
- (2) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014 दिनांक 22 जुलाई 2014 के अनुसार प्रथम किश्त की धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने पर निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
- (3) यदि निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है को संबंधित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।
- (4) नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्णय शासनादेश सं०-3788/9-5-2012-111बजट/2010 दिनांक 09-10-2012 की व्यवस्थानुसार नगर पालिका परिषदों द्वारा रूपये 25.00 लाख तथा नगर पंचायतों द्वारा रूपये 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जा सकेंगे। क्रमशः इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सी0एण्डडी0एस0 उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (5) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो संबंधित अधिशासी अधिकारी/संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।
- (6) नगर निकायों द्वारा अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-2087/9-5-2013-120बजट/2013 दिनांक 07-06-2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार अवर अभियन्ता अधिशासी अधिकारी नगर निकाय के अध्यक्ष चयनित आर्किटेक्ट/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत बराबर के उत्तरदायी होंगे।
- (8) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में यदि गुणवत्ता खराब होने अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यों की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। इसका उल्लेख टेण्डर की शर्तों में किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत कार्यों को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यों की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

1/471795/2024

- (10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (11) स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में सूची में अंकित कार्यों से अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। स्वीकृत कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित है तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय। इसके अतिरिक्त कार्ययोजना के कार्यों में यदि कोई स्थान/कार्य परिवर्तन होता है, तो उसकी सूचना निकाय द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- (12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।
- (13) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।
- (14) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (15) इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के उपरान्त उसकी गुणवत्ता की जांच कराकर वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत कुल धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/निदेशालय/महालेखाकार कार्यालय को दिनांक 31 मार्च 2024 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31.03.2024 तक होगी।
- (16) जिन निकायों की कार्ययोजना में इण्टरलॉकिंग से संबंधित कार्य सम्मिलित थे, उनको परिवर्तित करते हुए उनके स्थान पर सी.सी. रोड का निर्माण कराया जायेगा। यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों अथवा राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि से वहन किया जायेगा।
- (17) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी धनराशि को नागर निकाय द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बचत खाते में 07 दिनों के अन्दर अंतरित की जायेगी। निकायों का यह दायित्व होगा कि वे उक्त योजना के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाकर कैसिल्ड चेक सहित तत्काल निदेशक, नगरीय निकाय को उपलब्ध करायेगें।

I/471795/2024

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 1,50,00,000/- (रूपये एक करोड़ पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक 2217031930500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-9- 431-x-2023-24 दिनांक 15 जनवरी, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally Signed by अजय  
(अजय कुमार पाण्डेय)

संयुक्त सचिव।

Date: 15-01-2024 15:47:10

Reason: Approved

संख्या एवं दिनांक तदैव

1. प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6. अधिशासी अधिकारी, संबंधित निकाय को इस आशय से प्रेषित कि निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा योजना की धनराशि को निकाय के खाते में हस्तान्तरित किये जाने हेतु योजना के लिए राष्ट्रीय बैंक में खोले गये बचत खाते के पूर्ण विवरण/कैंसिल्ड चेक के साथ 03 दिन के भीतर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(अजय कुमार पाण्डेय)  
संयुक्त सचिव।